न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 105/2023

1 मालीराम पुत्र ठड़ूराम
2 ओमप्रकाश पुत्र ठड़ूराम
जाति रैगर निवासीगण मेघपुरा (कालिया बास) तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 प्रहलाद
2 महादेव
3 मूलसिंह
4 किशन पुत्रगण घीसाराम जाति मीणा निवासीगण मेघपुरा (कालिया बास) तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
5 संजय पुत्र श्रवण
6 महेन्द्र पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासीगण मेघपुरा (कालिया बास) तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
7 तीजा देवी बेवा हिरासिंह उर्फ हिरालाल
8 दीनदयाल पुत्र हिरा सिंह उर्फ हिरालाल फौत
8/1 श्रीमती मधु बेवा दिनदयाल
8/2 सोनू देवी पुत्री स्व. दिनदयाल
9 मंजू देवी पत्नी बृजमोहन जाति मीणा निवासीगण मेघपुरा (कालिया बास) तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
10 ग्यारसी लाल पुत्र हिरालाल
11 रामचन्द्र पुत्र स्व. मालाराम
12 नाथुलाल पुत्र स्व. मालाराम
13 मुकेश पुत्र स्व. मालाराम
14 महेश पुत्र स्व. मालाराम
15 छोटूराम पुत्र स्व. हीरालाल
16 कालुराम पुत्र गोपी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

17 कजोड़ पुत्र गोपी
18 रामलाल पुत्र गोपी
19 ताराचन्द पुत्र गोपी
20 मुलचन्द पुत्र गोपी
21 माली बेवा गोपी (नाम हजफ दिनांक 03.03.25)
22 झाबर मल पुत्र गिरधारी
23 चिरंजी लाल पुत्र गिरधारी
24 पोखर पुत्र गिरधारी
25 बद्री पुत्र गिरधारी
26 मोरली बेवा गिरधारी
समस्त जाति रैगर निवासीगण मेघपुरा (कालिया बास) तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
27 पटवार हल्का भादवाड़ी
28 उप पंजीयक खण्डेला
29 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 19.07.2010
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री भगतसिंह, अधिवकता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20/2/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 132/2006 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 9 ने एक दावा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 29 को पक्षकार बनाकर अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 0.07 व खसरा नम्बर 235 रकबा 0.04 तन मेघपुरा (कालिया बास) के संबंध में कोर्ट को मुगालता देकर गलत निर्णय व डिक्री पारित करवा ली है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 207/1 अपीलान्ट के खाते, कब्जे व काश्त की भूमि है तथा खसरा नम्बर 237 भी अपीलान्ट के खाते, कब्जे, काश्त की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट सदैव से काबिज काश्त थे, जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई वास्ता नहीं है तथा विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 207/1 में से खसरा नमबर 208 नया बनाकर तथा खसरा नम्बर 237 में से खसरा नम्बर 235 नया बनाकर अपीलान्ट की भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। इसलिए निर्णय जैर अपील कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण कानून निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 208 व 235 एन.सी. की भूमि है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत रेस्पोडेन्ट के नाम से दर्ज नहीं हो सकती है। फिर भी विचारण न्यायालय ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम से दर्ज कर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः निर्णय जैर अपील कानूनन निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 208 व 235 अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 207/1 व 237 का भाग है। जो अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये व बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत डिक्री पारित करवायी है, जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2010 गुपचुप में बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये व बिना नोटिस व सूचना दिये पारित करवायी गई है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में कभी नहीं थी उक्त निर्णय व डिक्री की आड़ में रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 22.07.2023 को अपीलान्ट को विवादग्रस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि खसरा नम्बर 208, 235 की डिक्री की धमकी दी तथा अपने पक्ष में फैसला होना बताया तब अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के मालूम करने पर अपीलान्ट ने दिनांक 24.07.2023 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25.07.2023 को उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने का निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई अतः तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलान्ट के हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के नाम से दर्ज होने से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते है। इसलिए अपीलान्ट आवेदन पत्र दफा 96 सीपीसी के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के आदेश की अनुपालना के तहत अपील प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के संबंध में दिनांक 05.03.2010 व दिनांक 08.03.2010 को राजीनामा पेश किया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि साबिक खसरा नम्बर 169 रकबा 6 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 208 रकबा 0.07 है. 234 रकबा 1.72 है., 235 रकबा 0.04 है. किता 3 रकबा 1.83 हैक्टेयर पर प्रथम सेटलमेंट के समय ही वादीगण सपरिवार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने मौके पर अपने रिहायसी मकान अर्सा 40 वर्ष से बनाकर कुआ व ट्यूबवैल अपने नाम से अर्सा 10–12 वर्ष पहले से विद्युत संबंध लगाकर मौके पर आबाद व सिंचाई करते है एवं मौके पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी हीरा पुत्र घीसा मीणा के स्थान पर हम प्रतिवादी के पूर्वज हीरा पुत्र देवा रैगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि की खातेदारी का गलत इन्द्राज हो गया वास्तव मे हम प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा या अधिकार नहीं रहा है। अतः हम प्रतिवादीगण का नाम विवादित भूमि से हटाया जाकर वादीगण के पक्ष में बरूऐ राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2017 से 2021 ग्राम काल्यावास प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 12.02.07, प्रदर्श–3, नकल ढाल–बॉछ संवत 2015 प्रदर्श–4, नकल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नक्शा प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2029 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2062 से 2065 प्रदर्श–7 पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य में वादीगण के पक्ष में शपथ पत्र महादेव पीडब्ल्यू1, प्रभुदयाल पीडब्ल्यू 2 पेश किये है। प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी संवत 2017 से 2021 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 169 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम काल्यावास तहसील श्रीमाधोपुर हीरा पुत्र देवा रैगर, हीरा पुत्र घीसा मीना सा. देह के नाम दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 169 के नये खसरा नम्बर 208/0.07, 234/1.72, 235/0.04 बनाये गये है। नकल ढाल बॉछ संवत 2015 प्रदर्श–4 के अनुसार कालम 2 में हीरा पुत्र देवा रेगर का हीरा पुत्र घीसा मीणा दर्ज है नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–6 के विशेष विवरण कालम नम्बर 41 में घीसा पुत्र भूरा मीणा का नाम दर्ज है मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 12.07.2007 के अनुसार खसरा नम्बर 234/1.72 हैक्टेयर पर कई वर्षो से वादीगण ही कब्जा काश्त करते आ रहे है यह कब्जा जबरन से नही है तथा संवत 2015 से इसका लगान भी वादीगण द्वारा ही दिया जा रहा है उपस्थित मौतबिरान व पड़ौसियों से पूछताछ के आधार पर पिछले वर्षो से वादीगण को ही कब्जा काश्त करते देखा है कभी भी रैगरों का कब्जा नहीं देखा है। वीदगण ने खसरा नम्बर 185 रकबा 0.30 है. के संबंध में दावा विड्रा किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2008 को प्रस्तुत किया है इस प्रकार खसरा नम्बर 185 के संबंध में कोई अनुतोष वादीगण नहीं चाहते है। सभी प्रतिवादीगण असालतन एवं वकालतन न्यायालय में उपस्थित हुये है एवं अपना राजीनामा वादीगण के वाद पत्र के समर्थन में पेश किया है। राजीनामें में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी हीरा पुत्र घीसा मीणा के स्थान पर हम प्रतिवादीगण के पूर्व हीरा पुत्र देवा रैगर के नाम खातेदारी वादग्रस्त भूमि का गलत इन्द्राज हो गया है एवं यह भी कहा गया है कि हम प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कोई कब्जा या अधिकार नहीं रहा है बल्कि वादीगण वादीगण इस भूमि पर प्रथम सैटलमेंट के समय से बहैसियत खातेदार मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्लिप गिरदावरी संवत 2017 के अनुसार घीसा मीना की काश्त अंकित है रसीद लगान के अनुसार घीसा का नाम दर्ज है खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2019, 2020 से 2029 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 169 पर घीसा पुत्र भूरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के नाम काश्त अंकित है। जमाबंदी संवत 2017 से 2021 में ही हीरा पुत्र घीसा मीना के नाम दर्ज है जो प्रदर्श–1 पेश है संवत 2015 की ढालवाछ प्रदर्श–4 में भी हीरा पुत्र घीसा मीणा का नाम दर्ज है लेकिन सैटलमेंट की कार्यावाही के दौरान विवादित भूमि की खातेदारी जमाबंदी संवत 2062–2065 प्रदर्श–7 के अनुसार हीरा पुत्र देवा रैगर के पुत्रो के नाम गलत रूप दर्ज कर दी गई। वादीगण ने विवादित भूमि पर अपने पुख्ता रिहायशी मकानात बना रखे है ट्यूबवैल लगाकर आराजी की सिंचाई करते आ रहे है। मौके पर काबिज रहकर लगातार 12 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतिवादीगण की जानकारी में लगातार काश्त करते चले आ रहे है। इसकी पुष्टि बयान गवाहान, प्रस्तुत दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट एंव प्रतिवादीगण द्वारा पेश राजीनामा से स्पष्ट रूप से होती है। इस प्रकार वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वन अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायाहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जवाब दावे में वाद कथन को अस्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के अनुसार वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात (विवाद बिन्दु) निर्धारित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक प्रावधानों की अवहेलना की है। किसी भी वाद के निस्तारण के लिए विवाद्यक विरचित किये जाने का विधि में आज्ञापक प्रावधान की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायायल द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोज़ित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधिक प्रावधानों का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.10.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर